

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्कूल शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला—रायपुर**

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/09/2022

क्रमांक एफ 1-91/2022/20-दो :::: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम-4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:—


क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्रीमती सौरिन चन्द्रसेन प्राचार्य	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद	प्रभारी उप संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर
2	श्रीमती मीता मुखर्जी उप संचालक	कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर	जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद
3	श्री ब्रजेश बाजपेई प्राचार्य	उप सचिव, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल रायपुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी (श्री आर.एन. मिश्रा, को जि.शि.आ. के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है)
4	श्री राकेश पाण्डेय उप संचालक	जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम लोक शिक्षण संचाल. छ.ग. में संलग्न)	उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.
5	श्रीमती कुमुदिनी बाघ द्विवेदी प्राचार्य	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चॉपा	प्राचार्य शास.उ.मा.वि. नंदेली जिला रायगढ़
6	श्री एच.आर. सोम उप संचालक	लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.	जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चॉपा
7	श्री भरत लाल खरे प्राचार्य	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सकती	प्राचार्य शास.बालक उ.मा.वि. बेलगहना बिलासपुर
8	श्री रमेश निषाद प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. सरोना जिला कांकेर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सकती
9	श्री सतीश कुमार पाण्डेय उप संचालक	जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली	उप संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा
10	श्रीमती सविता राजपूत उप संचालक	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर	जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली
11	श्री मनोज राय प्राचार्य	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेणझा मरवाही	प्राचार्य शास.उ.मा.वि. करगीकला कोटा जिला बिलासपुर



12	श्री नरेन्द्र चन्द्रा प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. पदमपुर जिला मुंगेली	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
13	श्री आर.पी.आदित्य उप संचालक	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़	प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर
14	श्री बरनाबस बाखला उप संचालक	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जशपुर	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़
15	श्री विनोद कुमार राय प्राचार्य	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर (अतिरिक्त प्रभार)	जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सहायक संचालक कार्या. संयुक्त संचालक अंबिकापुर में वापस
16	श्री राम ललित पटेल प्राचार्य	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर जिला बलरामपुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर
17	श्री जे.के. प्रसाद उप संचालक	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर	लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.
18	श्रीमती मधुलिका तिवारी	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा (संभा.संयु.संचा. शिक्षा संभाग, दुर्ग में संलग्न)	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर
19	श्री राजेश कर्मा व्याख्याता	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा	सहायक संचालक संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर
20	श्री बलीराम बघेल प्राचार्य	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तोकापाल जिला बस्तर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर
21	श्री बी.आर.मण्डावी प्राचार्य	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर	प्रभारी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नारायणपुर
22	श्री राजेन्द्र झा प्राचार्य	लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर
23	श्रीमती डेजी रानी जांगड़े प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. त्रिमूर्तिनगर रायपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ— बिलाईगढ़
24	श्री कमल कपूर बंजारा प्राचार्य	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बम्हनीडीह जिला जांजगीर—चौपा	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मानपुर— मोहला—अम्बागढ़ चौकी
25	डॉ. के.वी. राव प्राचार्य	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ— छुईखदान—गंडई
26	श्री अजय मिश्रा प्राचार्य	सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ चिरमिरी—भरतपुर
27	श्री प्रमोद ठाकुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, बीजापुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा

2/ उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3/ उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारियों में से यदि कोई वर्तमान पदस्थापना स्थल—जिला में पदस्थ न हों/सेवानिवृत्त/मृत्यु/निलंबित हों, तो यह स्थानांतरण आदेश शून्य माना जावेगा।



4/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, 2022 में निहित प्रावधानों के विपरीत यदि कोई स्थानांतरण किया गया हो तो उक्त स्थानांतरण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

5/ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किये नहीं किये जायेंगे।

6/ जारी उक्त स्थानांतरण सूची में यदि किसी अधिकारी का नाम स्थानांतरण हेतु पुनरावृत्ति हुई हो तो जारी सूची के प्रथम स्थान को ही मान्य किया जावेगा।

7/ संबंधित अधिकारी उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यक्ति हो, तो जारी आदेश तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिव समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

8/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र.एफ 2-91/2022/20-दो, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
3. प्रबंध संचालक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय, रायपुर।
4. संयुक्त संचालक, संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय, .....(छ.ग.)।
5. संबंधित कलेक्टर, जिला..... (छ.ग.)।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला.....(छ.ग.)।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला ..... (छ.ग.)।
8. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....(छ.ग.)।
9. संबंधित प्राचार्य/प्रधान पाठक.....(छ.ग.)।
10. संबंधित श्री/ श्रीमती.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. आदेश फाईल।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग